स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70(2) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./राज्य/2015–16 जयपुर, दिनांकः 15 OCT 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट हेतु नियमित प्रशिक्षण के संबंध में।

सन्दर्भः– विभाग का समसंख्या पत्र दिनांक 02.09.2015 एवं 03.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के संबंध में निवेदन है कि जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन कर इन ग्राम पंचायतों में चयन किये गये मेट, जिसमें **कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट हो।** इस हेतु राजीविका के महिला समूहों को भी शामिल कर उन्हें 5–5 के समूह में कार्य करवाने, माप करने व कार्यस्थल के प्रबंधन, समूह में भुगतान इत्यादि की व्यवस्था के बारे में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण माह सितम्बर, 2015 तक आप द्वारा आयोजित करवाकर प्रशिक्षण उपरान्त रिपोर्ट तीन दिन में भिजवाई जानी थी। लेकिन आदिनांक तक आपके जिले से उक्त मेट प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस संबंध में **स्मरण पत्र** भेजकर निवेदन है कि उक्त मेट प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षण की रिपोर्ट कार्यालय आयुक्त, ईजीएस को (फोटोग्राफ सहित) दिनांक 23.10.2015 तक निम्न प्रारूप में ई–मेल pdre_rdd@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिला ———————————

क्र. सं.	पंचायत समिति	चयनित मेट की संख्या			प्रशि. में भाग लेने वाले मेट की संख्या			प्रशिक्षण के फोटोग्राफ (हॉ/नहीं)
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	

भवदीय

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राजीविका को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि जिला स्तर पर कार्यरत समस्त जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका को इस संबंध में अपने स्तर से सूचित करें।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, समस्त राजस्थान।
6. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस